रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1972/श्रावण 28,1894

No. 185] **NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1972/SRAVANA 28, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th August 1972

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for April,72 March,73 (Amendment No. 17)*

No. 121-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume II) for the year April, 1972-March, 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3-4-72.

2. The following amendments may be made at the appropriate places :—

Page No. of the Policy Book (Vol. II)	Reference	Amendment
8	para 27(ii)of Section I Part B	The existing paragraph may be substituted by the following :— "(ii) For the purpose of determining eligibility of a nominee, in accordance with the provisions containd in paragraphs 26 and 27(i) above, the nominee manufacturer should possess an import licence/release order issued to him under Actual Users Policy for the period 1970-71, 1971-72 or 1972-73 for the import/allotment of raw materials and components required in the manufacture of the same end-product, on the basis of which he is claiming nomination.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1972

विषय :—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 17)

संख्या 121—आई० टी० सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47—आई टी सी (पीएन)/72, दिनांक 3-4-72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972—मार्च 1973 वर्ष के लिए जारी की गई, आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक रेडबुक (वा० 2) में ीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं.—

रेडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
8	खण्ड 1 भाग बी का पैरा 27(ii) ।	वर्तमान पैरा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— (ii) उपयुक्त पैरा 26 और 27 (i) में निहित शर्तों के अनुसार एक नामित कि पात्रता का निश्चय करने के लिए नामित निर्माणकर्ता के पास उसी अन्तिम उत्पाद के निर्माण के उपेक्षित कच्ची सामग्री या संघटकों के आयात/नियतन के लिए 1970-71; 1971-72 या 1972-73 के लिए वास्तविक उपयोक्ता नीति के अधीन जारी किया गया आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश होना चाहिए जिसके आधार पर वह नामांकन कादावाकर रहा है ।'

(एम० एम० सेन,

मख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972